बनवारीलाल / विनोद कुमार - 88/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18/10/2023	पत्रावली पेश। प्रकरण में वकील अपीलांट ने आवेदन मिसल तलबी प्रस्तुत किया। अपीलांट के आवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थी। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2022 को विचारण न्यायालय के आदेश की पालना स्थगित की गई थी। इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट विनोद कुमार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 3294/2023 प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 14.09.2023 से निगरानी स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.07.2022 को निरस्त कर दिया एवं प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ को धारा 212 के आवेदन को निर्णय की तिथि से एक माह में निस्तारित करने के आदेश पारित किये है। विचारण न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में लम्बित अपील संख्या 88/2022 में संलग्न होने से विचारण न्यायालय द्वारा माननीय मण्डल के उक्त निर्देशों की पालना नही की जा सकी है। अत प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये माननीय मण्डल के निर्णय की पालना हेतु अपील अपीलांट इसी स्तर पर प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली विचारण न्यायालय को माननीय मण्डल के उक्त आदेश की पालना नियत समय में करने के निर्देश के साथ लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झनूं)	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * राजस्थान